सभी बिल्डरों को देनी होगी कार्पेट क्षेत्र की जानकारी

■ रियल एस्टेट संगठन ने बनाई आचार संहिता

■ खुलेगा उपभोक्ता निवारण फोरम

नई दिल्ली (ब्यूरो)। रियल एस्टेट एसोसिएशन क्रेडाई ने बुधवार को कहा कि वह एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए उनके ब्रोशर और बिक्री समझौते में कार्पेट एरिया (खरीदारों को दिए जाने वाली वास्तविक जमीन) की जानकारी देनी होगी। क्रेडाई में शामिल देशभर के करीब 10,000 डेवलपर्स ने यह फैसला लिया है कि अगले छह माह के भीतर सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से इस आचार संहिता पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। क्रेडाई की आचार संहिता में मुख्य रूप से खरीदारों के वास्तविक उपयोग क्षेत्र की जानकारी दिया जाना, परियोजना में देरी होने पर मुआवजा देना और दो पक्षों के बीच समझौते का सम्मान करना शामिल है।

क्रेडाई के चेयरमैन प्रदीप जैन ने कहा, 'हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी क्रेडाई सदस्य छह माह के भीतर आचार संहिता पर हस्ताक्षर कर दें।' आमतौर पर उत्तर भारत के डेवलपर्स सुपर एरिया के आधार पर बिक्री करते हैं, जिसके तहत निर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य जगहों जैसे लिफ्ट और सीढ़ियों को भी शामिल लिया जाता है। क्रेडाई के प्रेसिडेंट ललित कुमार जैन ने कहा कि एसोसिएशन किसी भी तरह से पारदर्शिता और अनुशासन पर समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा एसोसिएशन ने यह भी तय किया है कि वह देश भर में उपभोकता निवारण फोरम खोलेगा।